

## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 26 सन 2019

अनवान :-

1. निहालाराम पुत्र श्योकरण जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- मांगीलाल देहडु अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 10/12/19

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 9/9 के खसरा न0 16/4 की 1.6690हैक खसरा न0 19/4.0470हैक खसरा न0 775 की 9.4970हैक , खसरा न0 788 की 14.2900हैक खसरा न0 859 की 0.2280हैक कुल 29.3710हैक भूमि में प्रार्थी मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं खाता संख्या 622/441 के खसरा न0 48/2 की 4.5400हैक खसरा न0 636/1034 की 4.300हैक भूमि जिसका प्रार्थी मुश्तरका खातेदार है।

उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम निहालसिंह पुत्र श्योकरण सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का सही नाम निहालाराम पुत्र श्योकरण है प्रार्थी सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित होने से अपूर्ण्य क्षति हो रही है राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फब्बारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है

प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम निहालाराम दर्ज केवल राजस्व रिकार्ड में सहवन से निहालसिंह दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत सोनडी द्वारा वादी के सही नाम से सम्बन्ध में प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है प्रार्थी का सही नाम निहालाराम पुत्र श्योकरण है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 9/9 के खसरा न0 16/4 की 1.6690हैक खसरा न0 19/4.0470हैक खसरा न0 775 की 9.4970हैक , खसरा न0 788 की 14.2900हैक खसरा न0 859 की 0.2280हैक कुल 29.3710हैक भूमि में प्रार्थी मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं खाता संख्या 622/441 के खसरा न0 48/2 की 4.5400हैक खसरा न0 636/1034 की 4.300हैक भूमि में प्रार्थी का नाम निहालसिंह के स्थान पर निहालाराम संशोधन करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी की और से तहसीलदार नोहर परोकार राज उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में जबाब पेश किया की प्रार्थी का नाम सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर प्रार्थी का नाम एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए संशोधन किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों को सुना गया ।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा सोनडी के खाता संख्या 9/9 के खसरा न0 16/4 की 1.6690हैक खसरा न0 19/4.0470हैक खसरा न0 775 की 9.4970हैक , खसरा न0 788 की 14.2900हैक खसरा न0 859 की 0.2280हैक कुल 29.3710हैक भूमि में प्रार्थी मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं खाता संख्या 622/441 के खसरा न0 48/2 की 4.5400हैक खसरा न0 636/1034 की 4.300हैक भूमि जिसका प्रार्थी मुश्तरका खातेदार है।

सु

उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम निहालसिंह पुत्र श्योकरण सहवन से गलत तौर से दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थी का सही नाम निहालाराम पुत्र श्योकरण है प्रार्थी सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित होने से अपूर्ण्य क्षति हो रही है राज्य सरकार व केन्द्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता एवं अन्य योजनाओं जैसे खादबीज का ऋण मुआवजा , फब्बारा व डिग्गी का ऋण आदि प्राप्त करने में परेशानी हो रही है वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में सही तौर से दर्ज करने पर किसी अन्य काश्तकार को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही है ना ही उनके हक हिस्सों पर किसी प्रकार का प्रभाव पडता है

प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजात जैसे मतदाता पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में वादी का नाम निहालाराम दर्ज केवल राजस्व रिकार्ड में सहवन से निहालसिंह दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत सोनडी द्वारा वादी के सही नाम से सम्बध में प्रमाण पत्र भी जारी किया जा चुका है प्रार्थी का सही नाम निहालाराम पुत्र श्योकरण है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया प्रार्थी का नाम सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर प्रार्थी का नाम एवं राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए संशोधन किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड रोही मौजा सोनडी के खाता सख्या 9/9 के खसरा न0 16/4 की 1.6690हैक खसरा न0 19/4.0470हैक खसरा न0 775 की 9.4970हैक , खसरा न0 788 की 14.2900हैक खसरा न0 859 की 0.2280हैक कुल 29.3710हैक भूमि में प्रार्थी मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं खाता संख्या 622/441 के खसरा न0 48/2 की 4.5400हैक खसरा न0 636/1034 की 4.300हैक भूमि जिसका प्रार्थी मुश्तरका खातेदार है जिसमें प्रार्थी का नाम निहालसिंह पुत्र श्योकरण दर्ज है।


वादी का कथन है कि राजस्व रिकार्ड में उसका नाम गलत तौर से दर्ज है सही नाम निहालचन्द पुत्र श्योकरण है सही नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी के द्वारा नाम के सम्बध में अपना परिवार राशन कार्ड ,आम आदमी का आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र , पेश किया है सभी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम निहालचन्द पुत्र श्योकरण दर्ज है सरपंच ग्राम पंचायत सोनडी के अनुसार गांव में प्रार्थी को दोनों नामों निहालसिंह व निहालाराम से जाना जाता है सही नाम निहालाराम है।

इसप्रकार प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं सरपंच ग्राम पंचायत सोनडी की रिपोर्ट एवं पेरोकार राज के जबाब के आधार पर प्रार्थी का सही नाम निहालाराम पुत्र श्योकरण होना प्रतित होता है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को नुकसान नहीं होता है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों एवं सरपंच ग्राम पंचायत सोनडी की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा सोनडी के खाता सख्या 9/9 के खसरा न0 16/4 की 1.6690हैक खसरा न0 19/4.0470हैक खसरा न0 775 की 9.4970हैक , खसरा न0 788 की 14.2900हैक खसरा न0 859 की 0.2280हैक कुल 29.3710हैक भूमि में प्रार्थी मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है एवं खाता संख्या 622/441 के खसरा न0 48/2 की 4.5400हैक खसरा न0 636/1034 की 4.300हैक भूमि में प्रार्थी का नाम निहालसिंह पुत्र श्योकरण के स्थान पर निहालाराम उर्फ निहालसिंह पुत्र श्योकरण संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को लिखा जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/12/19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )